भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1231

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

वैश्विक क्षुधा सूचकांक

1231. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2025 के वैश्विक क्षुधा सूचकांक में भारत का स्कोर 25.8 है जो अत्यंत गंभीर है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कोविड के बाद भारत वैश्विक क्षुधा सूचकांक में 2016 में 97वें स्थान से गिरकर 2025 में 102वें स्थान पर आ गया है;

(ग) क्या वर्ष 2030 तक भुखमरी शून्य करने का लक्ष्य रखने के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में महिलाओं (15-49 वर्ष) में रक्ताल्पता की व्याप्तता 57.0 प्रतिशत, किशोरियों में 59.1 प्रतिशत, गर्भवती महिलाओं में 52.2 प्रतिशत बताई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के बच्चों, जिनमें न्यूनतम आहार विविधता की कमी (79 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (77.2 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (76 प्रतिशत) के बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, जिसके फलस्वरूप ऐसे बच्चों में अल्पपोषण, अविकसित और मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): एक सूचकांक जिसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) कहा जाता है, उसे तीन गैर-सरकारी संगठनों (अर्थात जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ़, आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ़ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 'भुखमरी' का एक दोषपूर्ण मानक है और भारत की सही स्थिति नहीं दर्शाता है । इसके चार मूल संकेतकों में से तीन वास्तव में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर से संबंधित हैं। उन्हें समग्र आबादी में भुखमरी की व्यप्तता को दर्शाने वाला नहीं माना जा सकता है। केवल एक संकेतक, अल्पपोषण की व्यप्तता (पीओयू) सीधे भुखमरी से संबंधित है और इस संकेतक में भी पद्धतिगत और आंकड़ों से जुड़ी महत्वपूर्ण कमियाँ होती हैं। इसके अनुमान की संभाव्य प्रकृति और अंतर्निहित मापदंडों में अनिश्चितताओं के कारण, पीओयू अनुमानों की सटीकता आम तौर पर कम होती है। अन्य दो संकेतक अर्थात ठिगनापन और दुबलापन भुखमरी मापने के संकेतक नहीं हैं, बल्कि ये स्वच्छता, पर्यावरणीय परिस्थितियों, बीमारी से नुकसान, मातृ स्वास्थ्य, आनुवंशिकी और खाद्य उपयोग सहित कई जटिल कारकों के परिणाम हैं। इसी तरह, चौथा संकेतक अर्थात पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, टीकाकरण कवरेज, स्वच्छता और साफ-सफाई सफाई, स्वच्छ पेयजल और समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसे

कई निर्धारकों से प्रभावित होता है। इन कमियों को देखते हुए, जीएचआई द्वारा अपनाई गई पद्धति दोषपूर्ण है और इसे समग्र आबादी में भुखमरी को दर्शाने वाला संकेतक नहीं माना जा सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत नियंत्रित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनाज का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। 1 फरवरी 2026 तक, पीएमजीकेएवाई के तहत कुल 79.44 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें हर महीने मुफ्त अनाज मिल रहा है।

दूसरा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सहयोग से कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार-आधारित योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सभी बाल वाटिकाओं (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गर्म, पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 10.35 लाख विद्यालयों में लगभग 11 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के प्रशासनों की है। कुल आवर्ती बजट का 5% लचीले घटक के रूप में निर्धारित है, जिसका उपयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। इसका उपयोग चिन्हित जिलों में विद्यालय पोषण उद्यान स्थापित करने और पूरक पोषण का प्रावधान करने अर्थात चिक्की, अंडे, दूध, फल और अन्य खाद्य पदार्थों आदि के लिए किया जा सकता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के अनुसार स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मेनू तय करने और मिलेट, सब्जियां, मसाले आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चरणों में पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखा गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 और पोषण ट्रैकर के अनुसार बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**बौनापन %**	**अल्प वजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस 1- (1992-93) *	53.4	17.5	52.0
एनएफएचएस 2- (1998-99) **	47.0	15.5	45.5
एनएफएचएस 3- (2005-6) ***	42.5	19.8	48.0
एनएफएचएस 4- (2015-16) ***	35.8	21.0	38.4
एनएफएचएस 5- (2019-21) ***	32.1	19.3	35.5
पोषण ट्रेकर (31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार) ***	13.0	4.0	31.0

*4 वर्ष से कम

**3 वर्ष से कम

***5 वर्ष से कम

कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए, आँगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना को सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) नामक व्यापक मिशन में मिला दिया गया है। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर है। यह मिशन एक सार्वभौमिक, स्वयं-चयन की व्यापक योजना है जो सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात् 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित), गर्भवती महिलाओं, प्रसव के बाद 6 महीने तक स्तनपान कराने वाली माताओं तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में किशोरियों (14-18 वर्ष की आयु) के लिए है। यह मिशन जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, इस समस्या के प्रभावी समाधान के लिए भोजन, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को समाहित करने वाला एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है तथा 18 से अधिक मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय के माध्यम से इसका समाधान किया जा रहा है।

इस मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार, 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 14-18 वर्ष की किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया था। संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं और गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों (कैल्शियम, जस्ता, लोहा, आहार फोलेट, विटामिन-ए, विटामिन-बी6 और विटामिन बी-12) के प्रावधान की अनुशंसा करते हैं। महिलाओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों (एवीसी) में गर्म पका हुआ भोजन और घर ले जाने वाले राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, सामुदायिक एकजुटता और जागरूकता अभियान प्रमुख गतिविधियों में से एक है, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना है, क्योंकि खान-पान की अच्छी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सितंबर और मार्च-अप्रैल में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलन के अंतर्गत नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाते हैं और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सामुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी आदतों में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति साबित हुए हैं और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने सामुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करना होता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। आज तक, प्रधानमंत्री जनमन मिशन के तहत देशभर में कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति वाले गांवों में जनजातीय परिवारों को पूर्ण रूप से शामिल करके जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है।
